

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 458 / 2008
संस्थान दिनांक 31.10.2008

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला—बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

- 1— मुरार पिता बुधिया कहार, आयु 52 वर्ष
 - 2— महेश पिता मकुन्द कहार आयु 26 वर्ष
- दोनों निवासीगण— ग्राम गोगावा,
थाना धरमपुरी, जिला धार म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 20.11.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 132 / 2008 अंतर्गत 379 भा.द.सं. एवं म.प्र. मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 5 की उपधारा (5) एवं 1945 की धारा 3 की उप धारा बी.सी.डी. विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 एवं 9 में दिनांक 31.10.2008 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 21.05.2008 को समय दिन में लगभग 1:00 बजे ग्राम ब्राह्मणगौव के पास नर्मदा नदी में रिचार्जबल बैटरी से विस्फोट कर मछलिया मारने, बिना किसी अनुज्ञा के विस्फोटक को अपने पास रखकर विस्फोट करने तथा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी/व्यक्ति की अनुमति के नर्मदा नदी से मछलिया बेईमानी से लेने के आशय से विस्फोट कर मछलिया मारकर अपने आधिपत्य में लेकर चोरी करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 4 भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, धारा 5, 9 ख विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 379 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत नहीं है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी सखाराम माँ रेवा विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित ब्राह्मणगाँव में अध्यक्ष है। घटना दिनांक 21.05.2008 को ब्राह्मण नर्मदा नदी के गहरे पानी में विस्फोट हुआ, विस्फोट की आवाज सुनकर फरियादी सखाराम अपनी समिति के सदस्य भगवान, राजाराम, चम्पालाल नेहरू को बताया और देखा कि अभियुक्त मुरार एवं महेश नर्मदा नदी के गहरे पानी में बम से मछली मारते दिखे तब उन्होंने नर्मदा नदी समसान घाट में सामने से नाव डालकर चारों तरफ से घरा डालकर अभियुक्तगण महेश एवं मुरार को मछली व बम के साथ पकड़ा तथा मुरार के पास 2 बम तथा महेश के पास लगभग 3 किलो मछली पाई गई। पुलिस ने फरियादी सखाराम द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण महेश एवं मुरार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 132/2008 अंतर्गत धारा 379 भा.द.सं. एवं म.प्र. मत्स्य अधिनियम, 1981 की धारा 5 की उप धारा 5, विस्फोट अधिनियम की धारा 5, 9 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी सखाराम की निशांदाही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने मुरार से दो एक्सप्लोसिव बम प्रदर्शपी 5 के अनुसार एवं टार्च की छोटी बैटरी, तार हल्का लाल-गुलाबी रंग का लम्बाई लगभग 30 फीट एवं एक एल्युमिनिम की केप जिसमें लगभग 3½ इंच पतला डबल लाल रंग का वायर प्रदर्शपी 11 के अनुसार जप्त कर तथा अभियुक्त महेश से मृत मछलिया वजन लगभग 3 किलो जप्त कर प्रदर्शपी 6 के अनुसार तथा एक नाव पुरानी प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त कर जप्ती पंचनामे बनाये थे, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष महेश से पूछताछ कर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का मेमोरेण्डम प्रदर्शपी 13 बनाया तथा पुलिस ने फरियादी व साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 4 भारतीय मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, धारा 5, 9 ख विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 379 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 21.05.2008 को समय दिन में लगभग 1:00 बजे ग्राम ब्राह्मणगाँव के पास नर्मदा नदी में रिचार्जबल बैटरी से विस्फोट कर मछलिया मारी ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना किसी अनुज्ञा के विस्फोटक को अपने पास रखकर विस्फोट किया ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी/व्यक्ति की अनुमति के नर्मदा नदी से मछलिया बेईमानी से लेने के आशय से विस्फोट कर मछलिया मारकर अपने आधिपत्य में लेकर चोरी की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सखाराम (अ.सा.1), चम्पालाल (अ.सा.2), भगवान (अ.सा.3), राजाराम (अ.सा.4), नेहरू (अ.सा.5), कालु (अ.सा.6) एवं सुनिल (अ.सा.7) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी सखाराम असा 1, चम्पालाल असा 2, भगवान असा 3, राजाराम असा 4 एवं नेहरू असा 5 तथा कालु राम असा 6 तथा सुनिल असा 7 ने कोई भी कथन नहीं किये हैं। यहाँ तक कि साक्षियों ने उपस्थित अभियुक्तों को पहचानने से भी इंकार किया है। उक्त सभी अभियोजन साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक 21.05.2008 को उन्होंने अभियुक्तों को ब्रह्मण गॉव में नर्मदा नदी के अंदर विस्फोटक पदार्थ रिचार्जबल बैटरी से विस्फोट कर मछलियाँ मारते हुए पकड़ा था। साक्षियों ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि अभियुक्तों ने विस्फोटक पदार्थ से मछलियाँ मारकर अपने आधिपत्य में रखी तथा मछलियों की चोरी की। साक्षियों ने केवल प्रदर्शपी 1 लगायत 13 तक अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं लेकिन साक्षियों ने उक्त दस्तावेजों में लिखे तथ्यों की सत्यता से इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को कोई भी कथन देने से स्पष्ट इंकार किया है।

8. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षियों का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया यहाँ तक कि प्रकरण के विवेचना अधिकारी व्ही. एस. कुशवाह का गिरफ्तारी वारंट भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से भेजे जाने के उपरांत भी अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी को उपस्थित नहीं रखा गया। प्रकरण अत्यधिक पुराना होने से न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त की गई।

9. ऐसी स्थिति में जबकि परीक्षित किसी भी साक्षी ने दिनांक 21.05.2008 को समय दिन में लगभग 1:00 बजे ग्राम ब्राह्मणगॉव के पास नर्मदा नदी में विस्फोट कर मछलियों मारने तथा बिना अनुज्ञप्ति के विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखकर विस्फोट कारित करने तथा मछलियों की चोरी किये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये है। तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें उक्त धाराओं के अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहरया जा सकता है और उनके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तगण मुरार एवं महेश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय तीनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 4 भारतीय मस्त्स्य क्षेत्र अधिनियम, धारा 5, 9 ख विस्फोटक अधिनियम एवं धारा 379 भा.दं.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति दो एक्सप्लोसिव बम, टार्च की छोटी बेटरी, तार हल्का लाल-गुलाबी रंग का लम्बाई लगभग 30 फीट एवं एक एल्युमिनिम की केप जिसमें लगभग 3½ इंच पतला डबल लाल रंग का वायर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाये तथा मृत मछलिया वजन लगभग 3 किलो उसकी स्वामी सखाराम को सुपुदगी पर दी गई तथा प्रकरण में जप्तशुदा जप्त एक नाव पुरानी को उसके पंजीकृत स्वामी को अपील अवधि पश्चात् दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

